

भाग-2
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

1-	परियोजना/स्कीम का नाम	प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या FP/UP/ROAD/13414/2015 विश्व बैंक द्वारा पोषित उ० प्र० कोर रोड नेटवर्क डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट के प्रथम चरण के निर्माण के सम्बन्ध में (गोला-शाहजहांपुर राजमार्ग संख्या-93 किमी० 49 से 59) तक अनुमति के सम्बन्ध में।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उ० प्र०।
ii.	जिला	शाहजहांपुर।
iii.	वन प्रभाग	सामाजिक वानिकी प्रभाग, शाहजहांपुर।
iv.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	8.0 है०
v.	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन।
vi.	हरियाली का धनत्व	03
vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ० आर० एल०, एफ० आर० एल०-2 मीटर की परिगणना और एफ० आर० एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाये।	वृक्षों का पातन प्रस्तावित है।
viii.	भू-क्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर सक्षिप्त टिप्पणी।	भू-क्षरण से प्रभावित नहीं है।
ix.	वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	15 किमी०,
x.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मण्डल रिजर्व बाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर, आदि का भाग है। (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणिया अनुबन्धित की जाये।)	नहीं।
xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/ संकटापन्न /विशिष्ट प्रजातिया पायी जाती है यदि हाँ तो ब्यौरा दे।	नहीं।
xii.	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं।
2-	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गये विकल्पों के ब्योरे के साथ मदवार प्रस्तुत क्षेत्र क्या है।	संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की आवश्यकता अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
3-	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गयी कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें तथा उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं है।	नहीं।

- 4- प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा
- प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आस पास के वन क्षेत्र से इसकी दूरी, भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार। ब्लाक वृक्षारोपण।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। संलग्न है।
 - रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय। संलग्न है।
 - प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) संलग्न है।
- 5- जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षक रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7, गण 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुये (संलग्न करें) संलग्न है।
- 6- विभाग/जिला प्रोफाइल वन विभाग
- जिले का भौगोलिक क्षेत्र 4575 वर्ग किमी0
 - जिले का वन क्षेत्र 9881.1 है0
 - मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र 45.3332
 - 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण 18.226
 - दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि ---
 - वनेतर भूमि पर ---
 - तक प्रतिपूरक वनीकरण में, हुयी प्रगति
 - वन भूमि पर ---
 - वनेतर भूमि पर ---
- 7- प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश संस्तुति की जाती है।

तिथि :

स्थान : शाहजहाँपुर।


(एन0 के0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
समाजिक वानिकी प्रभाग,
शाहजहाँपुर।